International Journal of Applied Research 2019; 5(4): 306-308

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(4): 306-308
www.allresearchjournal.com
Received: 09-02-2019
Accepted: 13-03-2019

कुमारी रेखा
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

डॉ० मिथिलेश कुमारी
विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान, डॉ० पी०एन० सिंह डिग्री कॉलेज, छपरा, बिहार, भारत

Correspondence
कुमारी रेखा
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

भारत में महिलाओं के साथ घरेलु हिंसा एवं बाह्य हिंसाः सामाजिक, ऐतिहासिक, कानूनी दृष्टिकोण

कुमारी रेखा, डॉ० मिथिलेश कुमारी

प्रस्तावना

स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य यह है कि एक समाज विषेष में स्त्रियों का क्या स्थान है। उन्हें पुरूषों से ऊँचा, बराबर या नीचा क्यों माना जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति पुरूषों का क्या दृष्टिकोण है। उन्हें कौन–कौन से अधिकार प्राप्त है, विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्या–क्या कार्य है तथा उनसे किन भूमिकाओं को अदा करने की आषा की जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिक व उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों के बराबर रही है तथा पुरूषों के समान ही सब अधिकार प्राप्त रहें हैं। परन्तु वास्तविकता में वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी परन्तु पुरूषों के समकक्ष नहीं थी। वैदिक काल के पष्चात् उनकी स्थिति में निरन्तर गिरावट आती गई। अंग्रेजी शासनकाल में देष में राजनीतिक और सामाजिक जागृति आने लगी। समाज सुधारकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिये प्रयत्न किये गये। फलस्वरूप भारतीय समाज में आज स्त्रियों को पुनः सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में नवीन अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु आज भी भारत में वास्तविकता में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती।

महिलाएं सदैव से ही पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का आधार रही हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी सशक्त, प्रभावशाली और सुदृढ़ होती है, समाज उतना अधिक उन्नत सभ्य और प्रगतिशील होता है। अनेक ऐतिहासिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों से भारतीय समाज में महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति कमजोर बनी हुई है तथा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में भी उनकी स्थिति पुरूषों की तुलना में निम्नतर बनी हुई है। इस देश की कुल आबादी का लगभग आधा भाग होने के बावजूद महिलाएं तुलनात्मक रूप से वंचित होने की समस्या से घिरी हुई हैं। ग्रामीण महिलाएं न केवल गरीबी बल्कि बहुविध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं की शिकार हैं।

महिलाओं पर हिंसा

भारत में महिलाओं पर होने वाली हिंसा को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है – (प) घरेलू हिंसा (पप) बाह्य हिंसा

(i) घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत घर के सदस्यों द्वारा कोई भी कार्य, अथवा आचरण, जिसके द्वारा व्यथित महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुॅचाता है। किसी भी तरीके से अगर व्यथित महिला को घर के सदस्यों द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने का कोई कार्य किया जाता है, उसका प्रयास किया जाता है या धमकी दी जाती है, तो वह कृत्य घरेलू हिंसा की श्रेणी में आयेगा।

(ii) बाह्य हिंसा

बाह्य हिंसा परिवार के सदस्यों द्वारा न होकर परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है। इसमें शारीरिक, मानसिक, यौन सम्बन्धी सभी प्रकार की हिंसा सम्मिलित है जैसे छेड़छाड़, बलात्कार, वैष्यावृत्ति, अपहरण, शारीरिक शोषण, तेजाब डालना आदि। बाह्य हिंसा कार्य स्थल, सार्वजनिक स्थल या घर के अन्दर भी किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की जाती है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाऐं एक लम्बे काल में अवमानना, यातना और शोषण की षिकार रही है। स्वाधीनता के पष्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में षिक्षा और महिलाओं की धीरे–धीरे बढती हुई आर्थिक

स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएँ अब भी हिंसा की षिकार हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है व उनकी हत्या कर दी जाती है।

कोई भी क्षेत्र, राज्य, वर्ग, समुदाय, धर्म हो, हर जगह महिलाओं की भीषण उत्पीड़न का षिकार होना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न, माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है। जन्म लेने से पहले ही अनेक बालिकाएँ, भ्रूण हत्या की षिकार हो जाती है। जन्म लेने के बाद उन्हें लिंगीय भेदभाव का षिकार होना पड़ता है। जब वे स्कूल जाती है तो उन्हें सहपाठियों और षिक्षकों द्वारा यौन उत्पीड़न का षिकार होना पड़ता है। कई बार तो वे स्कूल परिसर में ही बलात्कार का षिकार हो जाती है। किषोर होने पर जब वे घर से बाहर निकलती है तो मुहल्ले में, रास्ते मे और बसों में उनके साथ छेड़खानी की जाती है जिस कारण उन्हें अपने स्त्री होने पर ही शर्म का अनुभव होने लगता है।

हिंसा रोकने के लिये सुझाव

हिंसा महिलाओं से सम्बन्धित एक प्रमुख समस्या है जिसे तुरन्त उपाय की आवष्यकता है। अपने समाज में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने के लिये और उनके विरूद्ध हिंसा को कम करने के लिये हमें क्या उपाय करने चाहिये? यह सुझाव वैध और तर्कसंगत हो सकता है कि स्त्रियों की सामान्य प्रतिष्ठा यदि षिक्षा, प्रभावी वैधानिक उपायों और परीक्षण और रोजगार के अवसर देकर सुधारी जा सकती है तो यह महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को कम करेगी, परन्तु यह अत्यन्त व्यापक सुझाव है। इसी प्रकार यह सुझाया जाता है कि जनसंचार के माध्यमों में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रकरणों को बहुत अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये। कई ऐसे उपाय हैं जिनके किये जाने से महिलाओं का उत्पीड़न कम हो सकता है।

(1) पीड़ित महिलाओं की मदद

कुछ महिलाओं को, यदि सब के लिये नहीं, जिसकी सबसे अधिक आवष्यकता है वह है आश्रय। स्वयंसेवी संगठनों को, जो स्त्रियों को एकसाथ आवास मुहैया कराते हैं, अपनी परियोजनाओं का प्रचार करना चाहिये। यह ध्यान में रखना चाहिये कि वर्तमान में जो महिलाओं के लिये घर है, वह आवष्यकतानुसार मॉग को पूरा नहीं कर पाते हैं उनमें अक्सर भीड़भाड़ होती है, वित्तीय सहायता का अभाव होता है और वे सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। महिला संगठन कई स्त्रियों के दुःखों के लिये उपषमन में योगदान देगी। यदि वे उन्हें अल्पकालिक आवास की सुविधा प्रदान करती है, विषेष रूप से उन विवाहित स्त्रियों को जो कष्ट में हैं या बलात्कार, भगाये जाने, मार डालने की कोषिष जैसी हिंसा का षिकार है। विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक आवास जो पीड़ित स्त्रियों और विधवाओं को दिये जा सकते हैं, उनका मूल्यांकन और तुलना करना अत्यावष्यक है।

(2) वित्तीय सहायता

पीड़ित महिलाओं को इसकी भी आवष्यकता है कि उनकी रोजगार ढूँढने, बच्चे की देखभाल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने में और अस्थायी रूप से वित्तीय सहायता दिलवाने में सहायता की जाये। इस उद्देष्य के लिये परामर्ष केन्द्र किसी केन्द्रीय स्थान पर खोले जा सकते है, परन्तु वे नारी गृहों से दूर होने चाहिये जिससे कि उनका अच्छा प्रचार हो सके और गृहों में रहने वालों की सुरक्षा को भी खतरा न हो।

(3) त्वरित अदालतों की स्थापना

महिलाऐं जो शोषण की षिकार है, की सहायता के लिये सस्ती और त्वरित अदालतों की स्थापना भी एक उपाय हो सकता है। इस सुझाव का यह आषय नहीं है कि अदालतें केवल महिलाओं के मामले ही निपटायेगी। इनका कार्यक्षेत्र और बड़ा होना चाहिये। वर्तमान में हमारे देष में पारिवारिक अदालतों की प्रणाली कुछ राज्यों में हैं। परन्तु इन अदालतों का प्रमुख रूप से उद्देष्य शादियों को टूटने से रोकना है। इन अदालतों का कार्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और उसमें महिलाओं की सब प्रकार की घरेलू और गैर घरेलू समस्याओं को सम्मिलित किया जा सकता है।

(4) महिला संगठनों को सषक्त करना

स्वयं सेवी संगठनों को, जो महिलाओं की निजी समस्याओं के बारे में उनके ससुराल वालों से या अदालतों से सम्बन्धित व्यक्ति से बात कर सके, सषक्त बनाना और उनकी संख्या बढ़ाना भी इतना ही आवष्यक है। यह इसलिये कि एक अकेली स्त्री की बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वास्तव में यदि वह अपने अधिकार मांगती है या मौलिक विचार रखती है या अपने विचारों को व्यक्त करती है तो अपनी उत्कंठाओं को उजागर करती है, तो उस पर स्पष्टवादी होने का आरोप लगाया जाता है। परन्तु यदि महिलाओं का एक समूह एकत्र होता है और स्त्री के दुःख के विरूद्ध आवाज उठाता है तो वे अपने विचारों को दृढ़तापर्वूक व्यक्त कर सकती है और प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

(5) निःषुल्क कानूनी सहायता

ऐसे संगठनों का प्रचार होना चाहिये। जो महिलाओं को निःषुल्क कानूनी सहायता देते हैं जिससे कि निर्धन स्त्रियां उनके पास जाकर सहायता मांग सके।

(6) महिलाओं को स्वयं को समर्थ बनाना

महिलाओं को भी अत्याचार के आगे क्यों झुकना चाहिये? वे क्यों नहीं समझती कि उनमें अपनी और अपने बच्चों की देख–रेख करने की क्षमता है? उनमें यह समझ क्यों नहीं आती कि उन्हें दी जा रही यातना से उनके बच्चों को भी भावात्मक आघात पहुँचता है? महिलाओं को अपने अधिकार पर दृढ़ रहना और अपने लिये नई भूमिकाएँ स्वीकार करना सीखना है। उन्हें जीवन की ओर एक आषावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से लेकर आज तक विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति समान नहीं रही उसमें निरन्तर उतार–चढ़ाव आता रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं को केवल नाममात्र के अधिकार प्राप्त थे। यद्यपि उनकी स्थिति को सुधारने के लिये अनेक समाज सुधारकों ने प्रयास किये। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप कई कानून बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ जिसमें स्त्री और पुरूषों को समान रूप से अधिकार प्रदान किये गये और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। महिलाओं के संरक्षण के लिये सरकार द्वारा बहुत से कानून बनाये गये और महिलाओं की उन्नति के लिये प्रयास किये गये। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। आज वे हर क्षेत्र में पुरूषों के बराबर है। इन सभी व्यवस्थाओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान निर्माता ही नहीं, आने वाली सरकारें भी महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ करने एवं उन पर लादी गई निर्योग्यताओं को समाप्त करने के लिये निरन्तर प्रयासरत रही हैं लेकिन आज भी इस कटु सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की वास्तविक स्थिति बहुत भ्रामक है।

वस्तुतः इनमें से अधिकांष कानून व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित ही नहीं हो पाते। इन कानूनों की व्यवहारिक असफलता की पीड़ा अभिव्यक्त करते हुए न्यायाधीष कृष्ण अय्यर ने कहा है कि ''यह कठोर सत्य है कि शाब्दिक लफ्फाजी के बावजूद महिलाऐं ऐसे घोर भेदभाव और अपमान की षिकार है जिसे देखकर लगता है

कि हम इंसानियत से गिर गये हैं और यही भारत में स्त्री–पुरूष सम्बन्धों की वास्तविकता है।'' उपलब्ध ऑकड़े और घटित होने वाली घटनाएँ भी यही साबित करती है कि न्यायाधीष कृष्ण अय्यर के शब्दों में सच्चाई है। इन न्यायिक व्यवस्थाओं के बावजूद जम्मूकष्मीर, गोधरा, गुजरात व बम्बई दंगों में महिलाओं की बर्बर हत्या, पेट फाड़कर भ्रूण निकालकर की गई हत्या, बलात्कार, उनके घरों को जला देना आदि होता रहा है जबकि इन सभी घटनाओं के समय प्रषासन मूक दर्षक बना देखता रहा है। इसी प्रकार विभिन्न अधिनियम भी महिला के शोषण को रोकने एवं उसे उसके अधिकार दिलाने में पंगु साबित हो रहें हैं। छेड़छाड़, बलात्कार आदि से रोकने के लये बने विभिन्न कानूनों के बावजूद इस देष में हर 24 घण्टे में एक बलात्कार होता है और हर मिनिट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है।

महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसका प्रमुख कारण है सिद्धान्त रूप से कानून का निर्माण तो किया है परन्तु वे व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किये गये हैं। इसके लिये आवष्यक है जो कानून बनाये गये हैं उन्हें व्यावहारिक बनाया जाये और उल्लंघन करने वालों को दण्डित किया जाये।

संदर्भ

1. मंजू षर्मा, नारी के प्रति अत्याचार और मानवाधिकार, मार्क पब्लिषर्स, जयपुर, 2009
2. कुसुम, 'कितने प्रभावी हैं कानून', सावलिया बिहारी वर्मा, एम. एल. सोनी, संजीव गुप्ता,
3. महिला जागृति और कानून, आविष्कार पब्लिषर्स, जयपुर, 2005
4. एम. ए. असांरी, नारी जीवनः सुलगते प्रष्न, ज्योति प्रकाषन, जयपुर, 2006
5. राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाषन, नई दिल्ली, 2002
6. मानचन्द्र खण्डेला, महिला सषक्तिकरण, अरिहन्त पब्लिषिंग हाउस, जयपुर 2002
7. चेतन सिंह मेहता, महिला एवं कानून, आषीष पब्लिषिंग हाउस, नई दिल्ली, 1996,
8. षारदा अग्रवाल, आधी आबादी का यथार्थ भारतीय नारी, राधा पब्लिकेषन्स, नई दिल्ली, 2010